दि० 2-3-15 को पेश हो।

28.1.15 पत्रावली पेश हुई/अधिवक्ता संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 9.2.15 को पेश हो।

रीडर

9.2.15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 12.2.15 को पेश हो।

रीडर

12.2.15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 2-3-15 को पेश हो।

रीडर

2-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वास्ते बहस पत्रावली दि० 10-3-15 को पेश हो।

10-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वास्ते बहस पत्रावली दि० 31-3-15 को पेश हो।

31-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि पक्षकारों की सह खातेदारी की भूमि है जिसमें सभी का हित निहित है। अतः पक्षकारों में विवादों की बहुलता नहीं बढ़े इसलिए उभयपक्षकारों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि रख० नं० $\frac{803}{0.01}$, $\frac{804}{0.02}$, $\frac{805}{1.20}$, $\frac{960}{0.12}$, $\frac{961}{0.70}$, $\frac{1023/803}{0.18}$ ग्राम दिंगोरिया को मूलवाद के निर्णय तक रहन, बय नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी